



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0/1369/2023

दिनांक:-03 मई, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव

गगन कालेज ऑफ मेनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलोजी,

आगरा रोड, अलीगढ़

विषय:-प्रवक्ताओं पद पर चयन हेतु विषय-विशेषज्ञ नामित किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 18.04.2023 के सन्दर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलपति जी ने महाविद्यालय में रिक्त एवं विज्ञापित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के पद पर चयन हेतु विषय-विशेषज्ञ को नामित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है।

1. पदनाम/विषय

विशेषज्ञों के नाम एवं पता

1. हिन्दी

- डा0 विजेन्द्र प्रताप सिंह, राजकीय महाविद्यालय, गौंडा, अलीगढ़
- डा0 मनु प्रताप, बरेली कालेज, बरेली।

2 अंग्रेजी

- प्रो0 चन्द्रवीर सिंह, राजकीय महाविद्यालय, अतरौली, अलीगढ़।
- डा0 पूजन प्रसाद, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद, 9412144379

3 इतिहास

- डा0 कालूराम, राजकीय महाविद्यालय, गमाना, अलीगढ़।
- प्रो0 विजय बहादुर यादव, एम0जे0पी0आर0यू0, बरेली, 9412048581

4 शिक्षाशास्त्र

- प्रो0 प्रदीप कुमार, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।
- डा0 देवेन्द्र सिंह, सिन्धु माछहरा कालेज, मेरठ, 9837779222

5. राजनीतिशास्त्र

- मेजर कमल सिंह दीक्षित, पी0सी0 बांगला, हाथरस
- डा0 वंदना शर्मा, गिन्दो देवी महाविद्यालय, बदायुं, 9837573752

6 अर्थशास्त्र

- डा0 शैलेन्द्र सिंह कुशवाह, राजकीय महाविद्यालय, कुरसण्डा, हाथरस
- डा0 सुबोध घवन, एम0जे0पी0आर0यू0, बरेली, 9412602666

7 मनोविज्ञान

- डा0 प्रतीभा श्रीवास्तव, श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़।
- प्रो0 संजय कुमार, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, 9358403296

2. कृपया नामित विशेषज्ञों से सम्पर्क कर चयन समिति आहूत करने का कष्ट करें।

3. (क) महाविद्यालय के प्रवक्ताओं पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत होगा।

- 1 प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्रबन्ध समिति का कोई एक सदस्य -अध्यक्ष
- 2 महाविद्यालय का प्राचार्य -सदस्य
- 3 सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष -सदस्य
- 4 कुलपतिजी द्वारा दो नाम निर्देशित, जिसमें एक सम्बन्धित विषय का विशेषज्ञ हो -सदस्य
- 5 दो विषय विशेषज्ञ, जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो, कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित -सदस्य

पॉच विशेषज्ञों के पैनल में से अध्यक्ष प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

नोट:- यदि महाविद्यालय में कोई प्राचार्य अथवा शिक्षक न हो तो शेष सदस्यों से चयन समिति का गठन हो जायेगा।



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

4. चयन समिति की बैठक के उपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों को महाविद्यालय की प्रबन्ध के सम्मुख प्रस्तुत कर उसकी सहमति/संस्तुति लेना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र/अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - 1 विज्ञापित पदों के विज्ञापन की मूलप्रति एवं महाविद्यालय को प्राप्त सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
 - 2 महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन का फोटो कॉपी।
 - 3 चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त/संस्तुति पत्र, जिसमें चयनित व प्रतीक्षा सूची सहित, चयन समिति का अभ्यर्थियों के साथ छायाचित्र।
 - 4 चयन समिति की संस्तुतियों पर महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
 - 5 चयन समिति द्वारा संस्तुत प्रवक्ताओं का रू 10/- के दो पृथक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (फोटोग्राफ सहित)।
 - 6 चयनित अभ्यर्थी का मूल आवेदन-पत्र सभी शैक्षिक अभिलेखों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
 - 7 चयनित प्रवक्ताओं का अनुभव प्रमाणपत्र, पूर्व महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं उनके पूर्व विश्वविद्यालय का अनुमोदन पत्र संलग्न किया जाये।
 - 8 अध्यक्ष के उपस्थित न होने की स्थिति में नामिती का पत्र।
 - 9 विभागाध्यक्ष यदि हो तो, प्रमाणित अभिलेख/अनुमोदन पत्र की प्रति।
6. विशेषज्ञों का उपर्युक्त पैनल एक माह के लिए वैध होगा तथा इसका उपयोग सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष ही किया जायेगा।
7. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के पद पर चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही शिक्षक को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।
8. चयन समिति प्रवक्ताओं की नियुक्ति उत्तर-प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03.12.2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
9. महाविद्यालय प्रवक्ताओं का अनुमोदन कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इनका अनुमोदन अन्य महाविद्यालय में तो नहीं है, जिससे शिक्षकों की पुनरावृत्ति न हो सके।
10. प्रवक्ताओं के चयन की कार्यवाही को विश्वविद्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा।
11. माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के चयन की बैठक हेतु विश्वविद्यालय रू 5000/-खाता सं 1489100100000981 IFSC Code- PUNB0148910, पंजाब नेशनल बैंक, खैर, अलीगढ़ में जमा होगा।
12. चयन समिति के गठन हेतु कुलपति जी के दोनों नाम निर्देशित तथा पाँच विशेषज्ञों में से किन्ही दो विषय-विशेषज्ञों का होना अनिवार्य है।
13. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दशा में विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रवक्ताओं के अनुमोदन के पश्चात पत्रावली एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय में प्रेषित करें।

भवदीय

कुलसचिव 03/12/23